झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत) 02 / 2022— 474

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 27.05.2022

विषयः— **श्री बद्री प्रसाद साह, ग्रा0+पो0—देवडाँड, जिला—गोड्डा से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि अपीलवाद सं0—12 / 2021 श्री बद्री प्रसाद साह बनाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य के मामले में दिनांक—03.04.2022 को आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग के पत्रांक—41 दिनांक—17.01.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित की गई थी। इस संबंध में अपीलकर्ता श्री बद्री प्रसाद साह का एक अन्य आवेदन दिनांक—22.04.2022 आयोग को प्राप्त है, जिसमें आयोग के पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने का उल्लेख है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवेदन की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\jharf\Dropbox\Anju\Anju@.docx8

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(644) DATE | 22|04|2022

(12)

25/4/22

सो. विनोद
25/04/22

342
21.04.22

श्री मान् अध्यक्ष महोदय
झारखण्ड खाद्य आयोग रांची

विषय :- अपील वाद सं० 121/21 बद्री प्रसाद साह अपील कर्ता
प्रतिवादी - जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पोड़ैयाहाट गोड्डा के अंतिम आदेश दिनांक 03/01/22 के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में उचित कारवाई करने हेतु।

महाशय,

सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि उपरोक्त वाद में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी शितल प्रसाद काशी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पर उचित कारवाई करने हेतु श्री मान् के न्यायालय से दिनांक 3/01/22 को श्री मति डॉक्टर रंजना कुमारी एवं श्री उपेन्द्र नारायण उराँव सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के पीठ से आदेश पारित हुवा था।

2 लेकिन आज दिनांक 22/04/22 तक उनके ऊपर कोई कारवाई नहीं किया गया। जो श्री मान के आदेश का अवमानना है जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा को आदेश का प्रति देकर कहे तो कहते है कोई कारवाई नहीं होगा।

अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि आदेश के अवमानना के तहत कारवाई करने की कृपा की जाय जिसके लिए सदा श्री मान का आभारी रहूँगा।

विश्वास भाजन
बद्री प्रसाद साह 22/04/22

ग्राम + पो० - देवडाँड
जिला - गोड्डा
झारखण्ड
मो० नं० 8084576933
E Mail sahbadri10@gmail.com

(644) DATE | 22|04|2022

(18)

25/4/22

सभी विभाग
25/04/22

342
21.04.22

श्री मान् अध्यक्ष महोदय
झारखण्ड खाद्य आयोग राँची

विषय! – अपील वाद सं० 12/21 बद्री प्रसाद साहु अपील कर्ता
प्रतिवादी- जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पोड़ैयाहाट केस के अंतिम आदेश दिनांक 04/01/22 के आदेश का पालन नहीं करने के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने हेतु।

महाशय,

सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि उपरोक्त वाद में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी शितल प्रसाद काशी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई करने हेतु श्री मान् के न्यायालय से दिनांक 4/01/22 को श्री मति डॉ० रंजना कुमारी एवं श्री उपेन्द्र नारायण उरांव सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के यहाँ से आदेश पारित हुआ था।

2 लेकिन आज दिनांक 21/04/22 तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जो श्री मान के आदेश का अवमानना है जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा को आदेश का प्रति देकर कहे तो कहते है कोई कार्रवाई नहीं होगा।

अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि आदेश के अवमानना के तहत कार्रवाई करने की कृपा की जाय जिसके लिए सदा श्री मान का आभारी रहूँगा।

विश्वासी भाजन
बद्री प्रसाद साहु 21/04/22
ग्राम + पो० - देवडाँड़
जिला - गोड्डा
झारखण्ड
मो० न० 8084576933
E mail sah badri 10 @ gmail.com

(क) अपीलकर्त्ता का पक्षः– अपीलकर्त्ता श्री बद्री प्रसाद साह का आवेदन दिनांक–27.09.2021 सुनवाई के दौरान आयोग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें उनके द्वारा लगाए गए अरोपों के संबंध में साक्ष्य संलग्न होने का उल्लेख किया गयाः–

(1) अपीलकर्त्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् सहायक गोदाम प्रबंधक, पोडैयाहाट से प्राप्त सूचना की प्रति आयोग को उपलब्ध करायी गई। जिसमें डीलर विष्णु प्रसाद अग्रवाल एवं श्री निवास रूज द्वारा माह मई एवं जून का दिनांक–03.05.2019 एवं 03.06.2019 का चावल उठाव किये जाने का उल्लेख है।

(2) साथ ही इस मामले में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक–65 दिनांक–25.06.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन भी संलग्न है। जिसमें डीलर श्री विषणु अग्रवाल द्वारा माह मई एवं जून का चावल नहीं मिलने की बात कहे जाने का उल्लेख है तथा उक्त दोनो डीलरों द्वारा मई एवं जून माह का राशन नहीं वितरीत किये जाने के आरोप में उन्हें प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। पुनः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक–06 दिनांक–09.01.2020 द्वारा उपरोक्त दानों डीलरों को निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

(3) अपीलकर्त्ता द्वारा कार्डधारी सोनिया देहरी को छः माह पूर्व एवं फूलिया देहरी को दो वर्ष पूर्व मृत बताया गया है। एवं उनके नाम से राशन उठाव का साक्ष्य (ऑनलाईन सूची) उपलब्ध कराया गया।

(ख) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का पक्षः– प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक–143 दिनांक–25.09.2021 द्वारा अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया।

(1) उनके द्वारा उपरोक्त दानों कार्डधारी की मृत्यु की जानकारी नही होने के कारण उनका माह जनवरी एवं फरवरी 2021 का खाद्यान्न उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही यह बात भी स्वीकार की गई है कि दानों मृत कार्डधारियों की ऑनलाईन पर्ची की निकासी माह मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक अनजाने में किया गया किन्तु खाद्यान्न नहीं दिया गया है, जो कि वर्तमान में भण्डार में सुरक्षित है।

(2) जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल एवं श्री निवास रूज, पंचायत–देवडांड के विरूद्ध पी0जी0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आलोक में जाँच के क्रम में कार्डधारियों को माह मई+जून, 2019 का खाद्यान्न डीलर के द्वारा आपूर्ति नहीं किए जाने संबंधी बयान दिये जाने के कारण उक्त दोनों विक्रेताओं को निलंबित किया गया।

(3) जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुनील कुमार साह, अनंत राम ठाकुर एवं प्रमोद कुमार रूज अन्त्योदय खाद्यान्न के वितरण के समय इनका सहयोग लिया जाता है। सरकार के द्वारा अन्त्योदय खाद्यान्न वितरण करने हेतु कोई कर्मचारी प्राप्त नहीं है। जिस कारण उक्त तीनों विक्रेताओं के संबंध में शिकायतकर्त्ता श्री बद्री प्रसाद साह के द्वारा दलाल भाषा का प्रयोग करना शोभनीय नहीं है।

(4) निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री निवास रूज का पूर्ण आवंटन पंचायत–बाघमारा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता नारायण चन्द्र रूज के साथ संबद्ध किया गया था। नारायण चंद्र रूज को निलंबित विक्रेता श्री निवास रूज का माह अगस्त 2019 से सितंबर 2019 तक पूर्ण आवंटन दिया गया था, जिसमें उक्त माह का अवितरित खाद्यान्न कुल–42.16 कि0ग्रा0 नारायण चन्द्र के भंडार में सुरक्षित है। शिकायतकर्त्ता के द्वारा नाराण चंद्र रूज के विरूद्ध भी कालाबाजारी का आरोप लगा दिया गया।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

3. सुनवाई की तिथि दिनांक–27.10.2021

(क) **जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पक्ष:**– गोड्डा के पत्रांक–1268 दिनांक–26.10.2021 द्वारा विषयांकित वाद में आयोग न्यायालय द्वारा दिनांक–27.09.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

(1) माह मई एवं जून 2019 में वितरित अनाज की जाँच राशन वितरण पंजी से किया गया, जिसके अनुसार डीलर श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल द्वारा माह मई 2019 में 427 एवं जून 2019 में 385 लाभुकों द्वारा राशन प्राप्त किया गया एवं श्रीनिवास रूज द्वारा इन दोनों माह मे क्रमशः–342 एवं 250 लाभुकों को राशन वितरण किया गया।

(2) दिनांक–03.05.2019 एवं 03.06.2019 श्री शीतल प्रसाद कासी स्वयं सहायक गोदाम प्रबंधक रहे हैं। एवं डीलर विष्णु प्रसाद अग्रवाल के भंडार निर्गम आदेश में इनके द्वारा हस्ताक्षरयुक्त राशन निर्गत किया गया है। श्री निवास रूज एवं श्री विष्णु अग्रवाल, जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा राशन के उठाव से संबंधित SIO संख्या अंकित कर बताया गया है कि राशन का उठाव किया गया है। स्पष्ट है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोडैयाहाट द्वारा पूर्व में पत्रांक–65 दिनांक–25.06.2019 द्वारा दिया गया प्रतिवेदन भ्रामक एवं सत्य से परे है।

(3) स्थलीय जाँच के क्रम में उपरोक्त दोनो जन वितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध 28 लाभुकों द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि उन्हें माह मई एवं जून 2019 में खाद्यान्न प्राप्त हुआ है।

(4) श्री शीतल प्रसाद काशी, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक पोडैयाहाट के पत्रांक–65 दिनांक–25.06.2019 में उपरोक्त डीलरों से संबद्ध निम्नांकित लाभुकों को टैग करते हुए जिन लाभुकों को राशन नहीं दिये जाने के बारे में उल्लेख है, उनके संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच में उपरोक्त दोनों डीलर के वितरण पंजी में राशन वितरण होने का उल्लेख है।

जाँच के क्रम में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक, पोडैयाहाट समप्रति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोडैयाहाट श्री शीतल प्रसाद काशी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की सत्यता पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होने का उल्लेख है।

4. सुनवाई की तिथि दिनांक–22.11.2021

(क) **शिकायतकर्त्ता का पक्ष:**– मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

(1) मृत पहाडिया कार्डधारियों का राशनकार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर रहने के कारण उनका राशन कोई दूसरा नहीं ले सकता है।

(2) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दो माह का राशन अन्य व्यक्ति को दिये जाने की बात स्वीकार की गई है, जो नियमानुकूल नही है।

(3) देवडांड के जनवितरण प्रणाली दुकानदार, विष्णु प्रसाद अग्रवाल एवं श्रिनिवास रूज द्वारा मई 2019 एवं जून 2019 का राशन वितरण नहीं किये जाने का प्रतिवेदन BSO द्वारा दिया गया है। एवं भण्डार में राशन गायब होने का भी उल्लेख है, जो कालाबाजारी का प्रतिक है।

(4) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा PDS दुकानदार के उपर कालाबाजारी करने का मुकदमा, राशन वापसी की प्रक्रिया आदि नहीं किया गया।

(5) PDS दुकानदार के पास दूसरे विक्रेता के पास बचे अवशेस राशन 23 माह से रखना न्याय उचित नहीं है।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No: 06512252267/2252261

(8)

(6) PDS वितरक श्री अन्नत राम ठाकुर को तीन माह 73 क्वि0 लगभग चावल देकर कालाबाजारी किया गया, जिसमें अपवाद पंजी से वितरण की बात कही जा रही है।

(ख) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का पक्षः— BSO, गोड्डा के पत्रांक–178 दिनांक–21.11.2021 द्वारा अपना पक्ष रखा गया है, जिसके अनुसारः–

(1) PVTG कार्डधारी सोनुवा देहरी कार्ड संख्या–20200573165 एवं मो0 फुलिया देहरी कार्ड संख्या–202005739320 का चावल क्रमशः सोनुवा देहरी का भाई रबनू देहरी एवं मो0 फुलिया देहरी का चावल इनके पुत्रवधु दूर्गी देहरी को उपलब्ध कराया गया।

(2) उनके द्वारा उपरोक्त कार्डधारियों की मृत्यु हो जाने की जानकारी चावल उपलब्ध कराने के समय नहीं दिया गया।

(3) उपरोकत दोनो कार्डधारी का ऑनलाईन पर्ची माह मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक का निकासी मेरे सहयोगी के द्वारा भुलवश किया गया। परन्तु खाद्यान्न का आपूर्ति नहीं किया गया है। कुल–9.80 क्विं0 चावल भण्डार में सुरक्षित है।

(4) जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विष्णु प्र0 अग्रवाल एवं श्री निवास रूज पं0–देवडांड के विरूद्ध कुछ कार्डधारियों के बीच माह मई तथा जून–2019 का खाद्यान्न आपूर्ति नहीं करने के आरोप में PGMS Portal से प्राप्त शिकायत के आलोक दोनों जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के सम्बद्ध कार्डधारियों से पुछताछ करने पर कार्डधारियों ने बताया की हमलोगों को माह मई तथा जून 2019 का चावल की आपूर्ति नहीं हुआ है।

(5) पत्रांक–65, दिनांक–25.06.2019 के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा को दोनो विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति को निलंब्ति करने हेतु प्रतिवेदित किया गया जिसमें भुलवश प्रतिवेदन किया गया है कि– "डीलर से पूछने पर डीलर ने बताया की हमलोगों को उक्त माह का खाद्यान्न नहीं मिला है।"

(6) उपरोक्त अवधि में मैं सहायक गोदाम प्रबंधक रा0खा0नि0 के गोदाम पोडैयाहाट का अतिरिक्त प्रभार में था। उक्त दोनों विक्रेता को मेरे द्वारा माह मई तथा जून–2019 का खाद्यान्न की आपूर्ति किया गया है। दोनों विक्रेताओं का माह मई तथा जून–2019 का S.I.O जिसमें खाद्यान्न प्राप्ति का हस्ताक्षर अंकित है। प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

(7) आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा भी जाँच किया गया है। जिसमें विष्णु प्र0 अग्रवाल एवं श्री निवास रूज के सम्बद्ध कार्डधारियों से पूछताछ करने पर बकाया चावल की आपूर्ति होने एवं दोनों डीलरों के द्वारा माह मई तथा जून 2019 का खाद्यान्न प्राप्त होने का पुष्टि किया गया है।

(8) पं0–देवडांड के जन प्रतिनिधि उपमुखिया, वार्ड सदस्य के द्वारा भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, विष्णु प्रसाद अग्रवाल एवं श्री निवास रूज के द्वारा निलम्बन की अवधि में ही कार्डधारियों को बकाया चावल आपूर्ति करने संबंधी प्रतिवेदन दिया है जिसकी प्रति आयोग को समर्पित है।

(ग) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा का पक्ष / मंतव्य :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1422 दिनांक–29.11.2021 द्वारा अपना पक्ष रखा गया है, जिसके अनुसारः–

(1) PVTG कार्डधारी सोनुवा देहरी, कार्ड संख्या–20200573165 एवं मो0 फुलीया देहरी कार्ड सं0–202005739320 का माह जनवरी एवं फरवरी 2019 का खाद्यान्न क्रमशः सोनुवा देहरी के भाई रबनु देहरी एवं मो0 फुलिया देहरी की पुत्रवधी दुर्गी देहरी को उपलब्ध कराया गया। जबकि उक्त कार्डधारियो (सोनुवा देहरी एवं मो0 फुलिया देहरी) की मृत्यु हो गयी थी।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(2) इसके बावजूद प्रखण्ड पदाधिकारी, पोर्डयाहट द्वारा दोनों मृत कार्डधारियों का ऑनलाईन पर्ची की निकासी माह मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक बिना भैतिक सत्यापन के किया गया, जो कि घोर लापरवाही को दर्शाता है।

(3) यद्यपि उनके पत्रांक–65 दिनांक–08.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) से प्रतिवेदित किया गया है। कि उक्त दोनों मृत लाभुकों का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है एवं 14 माह (मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक) का खाद्यान्न 9.80 क्वींटल सुरक्षित है।

(4) इसके अतिरिक्त आयोग के पत्रांक–677 दिनांक–29.09.2021 के आलोक में जाँच प्रतिवेदन कार्यालय के पत्रांक–1268 दिनांक–26.10.2021 द्वारा आयोग को सभी कागजात सहित समर्पित कर दिया गया है।

आदेश

अपीलकर्ता श्री बद्री प्रसाद साह एवं प्रतिवादी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट, गोड्डा तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त मामले मे निम्न तथ्य पाये गये:–

1. श्री शीतल प्रसाद काशी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–65 दिनांक–25.06.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जाँच के दौरान PDS वितरक श्री विष्णु अग्रवाल द्वारा माह मई एवं जून का राशन नहीं मिलने की बात कहे जाने का उल्लेख है। इसके विपरित श्री काशी द्वारा सहायक गोदाम प्रबंधक, पोडैयाहाट के रूप में अपीलकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् उपलब्ध कराये गय सूचना में PDS वितरक श्री विष्णु अग्रवाल एवं श्रीनिवास रूज द्वारा माह मई तथा जून का चावल दिनांक–03.05.2019 एवं 03.06.2019 को उठाव किये जाने का उल्लेख है। उक्त दोनों बातें विरोधाभाषी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री काशी द्वारा अपने प्रतिवेदन से विभाग एवं आयोग को गुमराह किया गया है।

2. PVTG कार्डधारी स्व0 सोनुआ देहरी, राशन कार्ड सं0–20200573165 एवं स्व0 फुलिया देहरी, कार्ड सं0–202005739320 का माह जनवरी एवं फरवरी 2019 के खाद्यान्न क्रमशः स्व0 सोनुआ देहरी के भाई श्री रबनु देहरी एवं स्व0 फुलिया देहरी की पुत्रवधु श्रीमती दुर्गी देहरी को उपलब्ध कराया गया जबकि कार्डधारियों की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद श्री काशी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पोडैहाट द्वारा दोनों मृत कार्डधारियों के ऑनलाईन पर्ची की निकासी भी माह मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक बिना भौतिक सत्यापन के किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट श्री शीतल प्रसाद काशी अपने कार्यो के प्रति लापरवाह हैं। अतः विभाग अपने स्तर से श्री काशी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट के विरूद्ध कार्रवाई करें।

आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Ranjana 21/01/22 — 21.1.2022

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261